मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2010—चैत्र 5, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. 7385-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 13 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 26 मार्च, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
(क्रमांक १३ सन् २०१०)

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, २०१०.

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ३ का संशोधन.
३. धारा ४ का संशोधन.
४. धारा ४-क का संशोधन.
५. धारा ४-ख का संशोधन.
६. धारा ४-ग का स्थापन.
७. धारा ५ का स्थापन.
८. धारा ६-क का संशोधन.
९. धारा ६-ख का संशोधन.
१०. धारा ६-ग का संशोधन.
११. धारा ७ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

(क्रमांक १३ सन् २०१०)

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, शब्द ''नौ हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार रुपये'' स्थापित किये जाए.

धारा ४ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द ''बारह हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''सोलह हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं.

धारा ४-क का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ४-क में, शब्द ''सात हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं.

धारा ४-ख का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ४-ख में, शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''चार हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं.

धारा ४-ग का स्थापन. ६. मूल अधिनियम की धारा ४-ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अर्दली भत्ता. ''४-ग. प्रत्येक सदस्य को पांच हजार रुपये प्रतिमास अर्दली भत्ता दिया जाएगा.''.

धारा ५ का स्थापन. ७. मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

बस यात्रा भत्ता. ''५. प्रत्येक सदस्य को दो सौ पचास रुपये प्रतिमाह बस यात्रा भत्ता दिया जाएगा.''.

धारा ६-क का संशोधन. ८. मूल अधिनियम की धारा ६-क की उपधारा (१) में,—

(एक) प्रथम पैरा में, शब्द ''छह हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''सात हजार रुपये'' स्थापित किये जाएं;

(दो) प्रथम परन्तुक में, शब्द ''दो सौ रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''तीन सौ रुपये'' स्थापित किए जाएं.

धारा ६-ख का संशोधन. ९. मूल अधिनियम की धारा ६-ख में, शब्द ''तीन हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं.

धारा ६-ग का संशोधन. १०. मूल अधिनियम की धारा ६-ग में, शब्द ''तीन हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

धारा ७ का संशोधन. ११. मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) में, शब्द ''तीन हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

हाल ही के वर्षों में मुद्रा स्फीति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) में समुचित संशोधन द्वारा विधान सभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि की जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक २६ मार्च, २०१०.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं ११ में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणाम स्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये ७,३९,३१,०००/- (रुपये सात करोड़ उनचालीस लाख इकतीस हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

डॉ. ए. के. पंयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.